International Journal of Engineering Science Invention (IJESI)
ISSN (Online): 2319-6734, ISSN (Print): 2319-6726
www.ijesi.org ||Volume 10 Issue 1 Series I || January 2021 || PP 35-39

हिन्दू महिलाओं के साम्पत्तिक अधिकार : हिन्दू उत्तराधिकार कानून के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक अध्ययन

विष्णुप्रिया दाधीच
महाराणा प्रताप विधि महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़
डॉ. के.सी . शर्मा

हिन्दू महिलाओं के साम्पत्तिक अधिकार : हिन्दू उत्तराधिकार कानून के परिप्रेक्ष्य में एक आलोचनात्मक अध्ययन
हिन्दू महिलाओं के साम्पत्तिक अधिकार के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टिकोण

सार (Abstract)
भारतीय संस्कृति में स्त्री को गौरवमयी स्थान प्राप्त रहा है। समय, देशकाल एवं परिस्थितियों में क्रमशः परिवर्तन के साथ–साथ महिलाओं के अधिकार का स्वरूप भी बदलता रहा है। इन अधिकारों मे से एक अधिकार 'सम्पत्ति का अधिकार' है। जहाँ तक प्रश्न हिन्दू महिलाओं के सम्पत्ति अधिकार है, वहाँ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 एवं न्यायालय द्वारा समय–समय पर किया गया निर्वचन इन सभी का अध्ययन आवश्यक है। न्यायिक दृष्टिकोण महिलाओं के अधिकारों को लागू करवाने के सम्बन्ध में प्रारम्भ से उदार प्रवृति का रहा है।

सूचक शब्द (Key Words) – देशकाल, सम्पत्ति, अधिकार, उत्तराधिकार, निर्वचन, न्यायिक दृष्टिकोण्ज्ञं

Date of Submission: 29-12-2020 Date of Acceptance: 10-01-2021

हिन्दू महिलाओं के साम्पत्तिक अधिकारों के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टिकोण

- विष्णुप्रिया दाधीच

परिचय

हिन्दू विधि को मुख्यतया दो भागों में विभक्त कर अध्ययन किया जा सकता है– प्रथम, प्राचीन हिन्दू विधि एवं द्वितीय, संहिताबद्ध हिन्दू विधि। प्राचीन हिन्दू विधि का सम्बन्ध श्रुति, स्मृतियों, निबन्ध, भाष्य आदि में वर्णित विधि एवं नियमों से है जबकि संहिताबद्ध हिन्दू विधि से तात्पर्य (हिन्दू महिलाओं के साम्पत्तिक अधिकारों के सम्बन्ध में) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 एवं हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 से है। इन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में आने वाली कठिनाईयों का निवारण एवं निराकरण समय–समय पर विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया है। समय के साथ हिन्दू महिलाओं के साम्पत्तिक अधिकारों में विस्तार हुआ एवं उन्हें पुरूष की भांति सम्पत्ति धारण करने, बनाये रखने, उपयोग करने, उपभोग करने सम्बन्धी सभी अधिकार विधिक तौर पर प्रदान किये गये। 2005 के संशोधन के बाद हिन्दू स्त्री सहदायिकी मानी गयी। 2005 से पूर्व तक केवल पुत्र, पौत्र एंव प्रपौत्र सहादियक माने जाते थे। प्राचीन समय में स्त्री को सम्पत्ति के सम्बन्ध में सीमित अधिकार प्राप्त थे परन्तु अब हिन्दू स्त्री को अधिनियम के तहत सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है।

- सहायक आचार्य, महाराणा प्रताप विधि महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़
- शोध विद्यार्थी, भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर

रंगनाथन चेट्टियार बनाम अन्नामलाई मुदालियर, मद्रास एल डब्ल्यू 258

इस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां एक हिन्दू सहदायिक एक पुत्र एवं पूर्वमृत पुत्री के एक पुत्र को अपने पीछे छोड़कर मरता है, वहां सहदायिकी की सम्पत्ति में उसका अपना अंश पुत्र एवं पूर्वमृत पुत्री के पुत्र को न्यागत होगा। वे दोनों सम्पत्ति में एक साथ हिस्सा प्राप्त करेंगे, क्योंकि अनुसूची 1 के अन्तर्गत दोनों उत्तराधिकारी आ जाते है। सामान्यतया मिताक्षरा सहदायिक के अन्तर्गत अविभक्त हित का न्यागमन उत्तरजीविता द्वारा होता है परन्तु मिताक्षरा सहदायिक मृत्यु के समय यदि अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट किसी स्त्री सम्बन्धी को, जो ऐसी सम्पत्ति को, जो ऐसी सम्पत्ति के माध्यम से दावा करता हो, अपना उत्तरजीवी छोड़े तो मिताक्षरा सहदायिक सम्पत्ति में मृतक का हित इस अधिनियम के अधीन यथास्थिति वसीयती या निर्वसीयती उत्तराधिकार द्वारा न्यागत होगा, उत्तरजीविता द्वारा नहीं। यदि सहदायिक की मृत्यु से पहले विभाजन हो चुका है अर्थात् सहदायिक के हित का पृथक्करण हो चुका है, चाहे सम्पत्ति का बंटवारा न हुआ हो, तब धारा 6 का परन्तुक लागू नहीं होगा। परन्तु विभाजन न होने की दशा में सहदायिक

के द्वारा अनुसूची के एक भी स्त्री उत्तराधिकारी का पुत्र या पुत्री (वही एकमात्र पुरूष सम्बन्धी है जो स्त्री के माध्यम से उत्तराधिकार का दावा करता है) को छोड़कर मरने पर उसके हित का न्यागमन उत्तराधिकार द्वारा होगा।

एई अम्मल बनाम सुब्रमनिया अंसारी व अन्य (ए आई आर 1966 मद्रास 369)

इस वाद के अन्तर्गत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा 15 की व्याख्या की गयी। किसी हिन्दू स्त्री के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में विस्तृत उपबन्ध धारा 15 उपधारा (1) के अन्तर्गत किये गये हैं तथा सम्पत्ति के सम्बन्ध में न्यागमन की भिन्न पद्धति को मान्यता देते हुए उपधारा (2) के अधीन अपवाद को समाविष्ट किया गया है जिसे उस स्त्री ने विरासत द्वारा अर्जित किया गया था, जो कि विरासत में प्राप्त की गयी किसी स्त्री की सम्पदा तक सीमित था, जिसमें प्राचीन विधि को मान्यता दी गयी थी एवं इसमें उसके न्यागमन को अंतिम पूर्ण स्वामिनी माना। प्रथम दृष्ट्या समाविष्ट अपवाद में मृतक स्त्री द्वारा अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त पिता के परिवार की सम्पत्ति में प्रतिधारित करने की ईप्सा की गयी है एवं इसी तरह, अपने पति या स्वसुर से विरासत में प्राप्त समपत्ति पति के परिवार की सम्पत्ति में प्रतिधारित करने की ईप्सा की गयी है। शब्द 'विरासत में प्राप्त करना' उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त करने अर्थात् वंशानुक्रम द्वारा उत्तराध्किारी से अभिप्रेत है।

रंगुबाई बनाम लक्ष्मण 1966 बम्बई 169

इस वाद के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा 'भावात्मक विभाजन से अंशों का आंवटन' के सम्बन्ध में व्याख्या की गई। मृत सहदायिक के हितों को कल्पनात्मक विभाजन द्वारा यह जानने का सूत्र है कि यदि सहदायिक की मृत्यु से तुरन्त पूर्व सम्पत्ति का विभाजन होता तो उसे क्या भाग प्राप्त होता? इसका अर्थ यह है कि भागों का आंवटन वास्तविक विभाजन की भाँति ही होगा तथा उन समस्त सदस्यों को अंश आंवटित करना होगा जो वास्तविक विभाजन होने पर सम्पत्ति के अंश के भागीदार होते। इस आंवटन से मृत सहदायिक का भाग जान सकते है। भावात्मक विभाजन करते समय परिवा में ऐसी स्त्रियां है जिन्हें वास्तवकि विभाजन पर सम्पत्ति में अंश प्राप्त होता है तब भावात्मक विभाजन उनके अंश का आंवटन करके होगा। प्रत्येक भागीदार के अंश का आंवटन करना होगा, चाहे वह सहदायिक हो या स्त्री सदस्य हो। जिस तरह आंवटन के बाद सहदायिक भी अपना अंश प्राप्त नहीं करते है, उसी तरह स्त्री सदस्य भी अपना अंश प्राप्त नहीं करते है, उसी तरह स्त्री सदस्य भी अपना अंश प्राप्त नहीं करेगी क्योंकि भावात्मक विभाजन का प्रयोजन केवल मृत सहदायिक के अंश का पता करना है।

इस वाद में एक हिन्दू सहदायिक पुत्र एवं अपनी विधवा को छोड़कर मर गया। विधवा को छोड़कर मरने के कारण उसका सहदायिक हित उत्तराधिकार द्वारा न्यागमित होगा। यह प्रश्न कि उसका हिता क्या है? इस सम्बन्ध में प्रथम मत के अनुसार, विधवा को भावात्मक विभाजन प्राप्त करने का अधिकार है। विधवा इसमें 1/3 भाग प्राप्त करेगी अर्थात् भावातमक विभाजन वास्तविक विभाजन हो गयां इसके साथ ही वह पति के 1/3 भाग में से आधा भाग अर्थात् छठा हिस्सा लेगी। इस तरह उसने 1/3 हिस्सा प्राप्त किया। भावात्मक विभाजन तथा छठा भाग उत्तराधिकार में, कुल मिलाकर उसने आधी सम्पत्ति प्राप्त की।

इस मत का समर्थन **गुरूपाद खाण्डप्पा बनाम हीराबाई 1978 एससी 1239** में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रचूड़ ने करते हुए कहा कि– भावात्मक विभाजन के आधार पर चिन्तन करना उचित नहीं है। धारा 6 का स्पष्टीकरण यह मानने के लिये बाध्य करता है कि विभाजन सहदायिक की मृत्यु से पूर्व हो यगा हो। इसका तात्पर्य है कि भावात्मक विभाजन को वास्तविक मानना चाहिए। किसी भी मिताक्षरा सहदायिक द्वारा अनुसूची के वर्ग 1 के किसी भी स्त्री उत्तराधिकारी को छोड़कर मरने से संयुक्त परिवार का स्वतः विभाजन हो जायेगा। दूसरा मत यह प्रतिपादित किया गया तथा जिसका समर्थन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कंट्रोलर ऑफ ड्यूटी बनाम अनारी देवी 1972 इलाहाबाद 179 के निर्णय में किया गयां पत्नी का विभाजन में अन्य भागीदारों की भांति ही उसका अंश भी आंवटित किया जाएगा तथा जिस तरह अन्य भागीदार वास्तव में कोई अंश नहीं लेते है, उसी प्रकार भी अंश नहीं लेगी। **उदाहरणस्वरूप यदि 'म' का भाग** 1/3 है तो उत्तराधिकार के आधार पर उत्तराधिकारी पुत्र एवं विधवा को मिलेगा। पुत्र 1/6 भाग लेगा तथा विधवा भी 1/6 भाग लेगी। विधवा को विभाजन में कोई भाग प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि 'म' की मृत्यु के बाद पुत्र की स्थिति एकाकी उत्तरजीवी सहदायिक की हो जाती है तथा किसी के द्वारा विभाजन का प्रश्न नहीं उठता है यदि 'म' दो पुत्र छोड़कर मरता तो पुत्रों के विभाजन की स्थिति में वह माता के पद से विभाजन में पुत्र के बराबर भाग प्राप्त कर सकती थी, परन्तु यह स्थिति अब नहीं है।

गणाचारी वीरैया वीरेशाम शंकरेया बनाम गणाचारी शिवा रंजनी (ए आई आर 2010(एन ओ सी) 351) आन्ध्रप्रदेश

इस वाद में आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005 के द्वारा संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ने सहदायिकी से सम्बन्धित अधिकारों के सम्बन्ध में मिताक्षरा संयुक्त हिन्दू परिवार के पुरूष एवं स्त्री सदस्यों के अन्तर को पूर्णतया समाप्त कर दिया है। इसके फलस्वरूप जिन परिस्थितियों में कोई हिन्दू पुरूष सहदायिक के अधिकारों का प्रयोग कर सकता है (जिसमें विभाजन का अधिकार भी शामिल है) उन परिस्थितियों में उसी श्रेणी की 'महिला हिन्दू' भी समान रूप से ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने के लिये सक्षम है। विवाहित पुत्री का विभाजन का अधिकार आत्मन्तिक है एवं किसी सीमा के अधीन नही है भले ही पुत्री के विवाह हो जाने पर उसका धर्म परिवर्तन हो गया हो, सहदायिक के रूप में उसके अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

गण्डूरी कोटेश्वरम्मा बनाम चाकिरी पनाड़ी (ए.आई.आर 2012 एस.सी. 169)

इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह विनिश्चय किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की नयी धारा 6, 9 सितम्बर 2005 से संयुक्त हिन्दू परिवार के पुरूष एवं महिला सदस्यों के मध्य अधिकारों की समानता का उपबन्ध करती है। धारा 6 के अन्तर्गत की गई यह घोषणा असंदिग्ध है कि सहदायिक की पुत्री सहदायिक सम्पत्ति में ऐसे अधिकार एवं दायित्व रखेगी मानो कि वह पुत्र हो। अतः 9 सितम्बर 2005 से पुत्री पैतृक सम्पत्ति में अंश की उसी प्रकार हकदार होती है तथा उसी प्रकार सहदायिक होती है मानो वह पुत्र हो। धारा 6 की उपधारा (1) से संलग्न परन्तुक में दी गई परिस्थितियों के अतिरिक्त हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के द्वारा मिताक्षरा विधि से शासित संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति में पुत्री को प्रदान किया गया अधिकार आत्यन्तिक है। दो आपवादिक परिस्थितियों में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 प्रयोज्य नहीं है–

(1) जहां व्ययन या अन्तरण या विभाजन 20 दिसम्बर 2004 से पूर्व हुआ हो एवं

(2) जहां सम्पत्ति का वसीयती व्ययन 20 दिसम्बर 2004 से पूर्व हुआ हो।

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा पृथक सम्पत्ति को प्रभावित नहीं किया गया है। वर्ग I के पुरूष उत्तराधिकारियों की सूची का विस्तार इसका अपवाद है। इस संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब पुत्रियां चाहे वे विवाहित हो या अविवाहित, संयुक्त सहदायिकी सम्पत्ति में विभाजन की माँग कर सकती है, उनका पुत्रों के समान ही सहदायिकी सम्पत्ति में अंश होता है तथा वे पूर्वानुमान के आधार पर कर्ता होने के साथ ही उत्तरदायित्वों का वहन करने को भी बाध्य होती है। पूर्व मृत पुत्रों एवं पुत्रियों के उत्तराधिकारियों को दो भी समानता प्रदान करते हुये प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को दो पीढ़ियों को सम्मिलित किया गया है, अब पूर्व मृत पुत्रों के उत्तराधिकारों की दो पीढ़ियों की भाँति पूर्व मृत पुत्रियों के उत्तराधिकारी भी प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी है। एतद् अर्थ धारा 8 के वर्ग I के उत्तराधिकारियों हेतु बनाई गई अनुसूची भी संशोधित कर दी गई है। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के अन्तर्गत विवाहिता पुत्री को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 के निरसन से भी लाभ हुआ है, क्योंकि पुत्रियां अब निवास व बंटवारे के अधिकार का प्रयोग पैतृक निवास भवन के सन्दर्भ में कर सकता है। धारा 24 के समापन के पश्चात् वर्णित श्रेणियों की विधवायें उत्तराधिकार में सम्पत्ति प्राप्त कर सकती है, चाहे उन्होंने पुनर्विवाह ही क्यों न कर लिया हो।

उत्तम बनाम सौभागसिंह (ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 1169)

इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के पूर्व की विधि को निम्न प्रकार से सारांश रूप मं वर्णित किया है,

(i) यदि कोई हिन्दू पुरूष अपनी मृत्यु के समय मिताक्षरा सहदायिकी सम्पत्ति में हित रखते हुए मर जाता है तो धारा 6 के अन्तर्गत दिये गये सामान्य नियम के अनुसार ऐसी सम्पत्ति मे उसका हित सहदायिकी के उत्तरजीवी सदस्यों में उत्तरजीविता के द्वारा न्यागत होगा।

(ii) इस कथन का अपवाद इस अधिनियम की धारा 30 की व्याख्या में निहित है जो यह स्पष्ट करती है कि अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी मिताक्षरा सहदायिकी सम्पत्ति में किसी पुरूष हिंदू का हित ऐसी सम्पत्ति में है, जो कि उसके द्वारा वसीयत से व्ययित किया जा सकता है।

(iii) कथन का दूसरा अपवाद अधिनियम की धारा 6 के परन्तुक में दिया गया है, जिसके अनुसार यदि ऐसा पुरूष हिन्दू अनुसूची के वर्ग I में उल्लिखित महिला सम्बन्धी को अथवा इस वर्ग के ऐसे पुरूष सम्बन्धी को जो ऐसी महिला सम्बन्धी के माध्यम से दावा करता है, छोड़कर मर जाता है जो सहदायिकी सम्पत्ति में मृतक का हित वसीयती अथवा निर्वसीयती उत्तराधिकार के द्वारा न्यागत होगा, उत्तरजीविता के द्वारा नहीं।

(iv) जो हिन्दू पुरूष सहदायिक के अंश का निर्धारण करने के लिये धारा 6 के परन्तुक से शासित होता है, उसके मृत्यु के अव्यवहित पूर्व विधि के प्रवर्तन के द्वारा विभाजन सम्पन्न किया जाता है। इस विभाजन में सभी सहदायिक तथा पुरूष हिन्दू की विधवा संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में अंश प्राप्त करने के हकदार होते है।

(v) स्वार्जित सम्पत्ति को छोड़कर किसी हिन्दू पुरूष की मृत्यु हो जाने पर धारा 8 की प्रयोज्यता होने पर अथवा धारा 6 के परन्तुक की प्रयोज्यता होने पर ऐसी सम्पत्ति केवल निर्वसीयती उत्तराधिकार के द्वारा न्यागत होगी, उत्तरजीविता के द्वारा नहीं

(vi) अधिनियम की धारा 4, 8एवं 19 के संयुक्त पठन से यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्वसीयती उत्तराधिकार के सिद्धान्तों के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का वितरण हो जाने के बाद जो व्यक्ति संयुक्त परिवार की सम्पत्ति को उत्तराधिकार मे प्राप्त करते है उनके हाथों में संयुक्त परिवार की सम्पत्ति संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं रह जाती है, क्योंकि वे ऐसी सम्पत्ति को सामान्यिक अभिधारी के रूप में प्राप्त करते हैं, न कि संयुक्त अभिधारियों के रूप में।

इस तरह उपरोक्त वाद में माननीय उच्चतम न्याायलय द्वारा इस वाद में 2005 के संशोधन से पूर्व हिन्दू विधि के उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों की व्याख्या दी एवं शंकाओं का निवारण किया।

प्रकाश एवं अन्य बनाम फूलवती एवं अन्य (ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 769)

इस मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अनिल दवे तथा ए.के. गोयल ने यह मत अभिव्यक्त किया कि– हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सहदायिकों की जीवित पुत्रियों को लागू होता है। इस सम्बन्ध

में यह महत्वहीन है कि ऐसी पुत्रियों का जन्म कब हुआ? ऐसे व्ययन, हस्तान्तरण या विभाजन अप्रभावित रहेंगे जो 20 दिसम्बर 2004 के पूर्व उस समय की विधि के अनुसार किये गये है।

इस वाद में यह मत अभिव्यक्त किया कि 9 सितम्बर 2005 को पिता का जीवित होना आवश्यक है तथा जीवित पुत्रियों को सहदायिक अंश प्राप्त होगा।

वस्तुतः हिन्दू उत्तराधिकार (संसोधन) अधिनियम, 2005 के पूर्व मिताक्षरा विधि के अन्तर्गत सम्पत्ति के न्यागमन के दो तरीके मान्य थे– (अ) उत्तरजीविता एवं (ब) उत्तराधिकार।

उत्तरजीविता का नियम मिताक्षरा सहदायिकी में हित के न्यागमन के सम्बन्ध में लागू होता था। इसका अभिप्राय यह था कि जब कोई मिताक्षरा विधि से शासित सहदायिक अन्य सहदायिकों को छोड़कर मर जाता था जो सहदायिकी सम्पत्ति में उसका हित उसके उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार में न्यागत नहीं होता था बल्कि उसके उत्तरजीवी सहदायिकों को उत्तरजीविता के द्वारा न्यागत होता था। यह नियम कुछ सीमा तक हिन्दू महिला सम्पत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 द्वारा परिवर्तित किया गया। इसका प्रभाव यह था कि जब तक किसी मिताक्षरा सहदायिक की विधवा जीवित रहती थी उसका सहदायिक सम्पत्ति में वही हित रहता था जो कि उसके मृतक पति का उसके जीवनकाल में होता था। मृतक सहदायिक की विधवा के जीवनकाल में उत्तरजीविता का नियम स्थगित रहता था। ऐसी विधवा की मृत्यु के बाद ही उत्तरजीविता का नियम पुनर्जीवित होता था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की मूलधारा 6 के अन्तर्गत सामान्य नियम यह था कि यदि मिताक्षरा विधि से शासित होने वाला कोई हिन्दू पुरूष सहदायिक सम्पत्ति में अपना हित छोड़कर अधिनियम के लागू होने के बाद मरता है तो सहदायिक सम्पत्ति में उसका हित उत्तरजीविता के द्वारा न्यागत होगा। उत्तरजीविता के नियम में मूलधारा 6 के परन्तुक द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। इसमें कहा गया कि यदि मिताक्षरा पद्धति से शासित कोई हिन्दू इस अधिनियम के लागू होने के बाद अनुसूची के वर्ग I में विनिर्दिष्ट किसी महिला उत्तराधिकारी या पुरूष उत्तराधिकारी जो कि ऐसी महिला सम्बन्धी के माध्यम से दावा करता है, छोड़कर मर जाता है तो मिताक्षरा सहदायिकी में उसका हित उत्तराधिकार के द्वारा उसके उत्तराधिकारियों को न्यागत होगा, उत्तरजीविता के द्वारा नहीं। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने इस सम्बन्ध में पूर्व विधि से पूर्वरूप से संशोधन कर दिया है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 को स्थानापन्न कर दिया गया है एवं उत्तरजीविता के नियम को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है।

दनम्मा सुमन सुरपुर व अन्य बनाम अमर व अन्य (2018) 3 एस.सी.सी. 343

इस वाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ए.के. सीकरी तथा अशोक भूषण ने यह अभिनिर्धारित किया कि पुत्री के पैतृक सम्पत्ति में सहदायिक होने के लिये पिता का 9 सितम्बर 2005 को जीवित होना आवश्यक नहीं है। यदि 2005 के संशोधन के लागू होने के समय पिता जीवित नही है तब भी पुत्री को सहदायिक अंश प्राप्त करने का अधिकार है तथा पिता के जीवित न होने का प्रभाव स्त्री के साम्पत्तिक अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकेगा।

इस वाद में अभिव्यक्त किया गया निर्णय पूर्व निर्णय से विरोधाभास युक्त था। उपरोक्त दोनों वाद के निर्णय ने 2005 के संशोधन के सम्बन्ध में संशय की स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसका समाधान कर विधिक स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक हो गया था। इस मामले में पिता की वर्ष 2001 में मृत्यु हो गई थी। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनिमय, 2005 के लागू होने के बाद पुत्रियों ने प्रारम्भिक डिक्री के संशोधन के लिये एक आवेदन दायर किया था, जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया था कि अपीलकर्त्ताओं (पुत्रियों) का जन्म अधिनियम के लागू होने से पहले हुआ था इसलिए वे अपने पिता की सम्पत्ति में किसी भी हिस्से की हकदार नहीं होगी। ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि संशोधित धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार संशोधित अधिनियम, 2005 के प्रारम्भ होने एवं उसके बाद एक पुत्री अपने जन्म के साथ ही एक पुत्र के समान अपने आय में एक को पार्सनर बन सकती है, विशेष अवकाश याचिका को अनुमति दी।

विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (11 अगस्त 2020)

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005, 9 सितम्बर 2005 से प्रभाव में आया। इस संशोधन के साथ ही यह प्रश्न उठा कि क्या 9 सितम्बर 2005 को पिता का जीवित होना आवश्यक है अथवा नहीं। इस संशोधन से 1956 की धारा 6 के अन्तर्गत पुत्रियों को पुत्रों की भांति पैतृक सम्पत्ति में जन्म से सहदायिक माना गया। इसके प्रभाव से पैतृक सम्पत्ति में पुत्र की भांति पुत्री भी हिस्सा प्राप्त करेगी। समस्या यह उठी की यदि पिता की मृत्यु 2005 से पूर्व ही हो गई हो तो क्या पुत्री को सम्पत्ति में सहदायिक अंश प्राप्त करने का अधिकार है अथवा नहीं?

इस प्रश्न का जवाब तीन प्रमुख वादों में देने का प्रयास किया गया।

प्रकाश एवं अन्य बनाम फुलवती व अन्य (ए.आई.आर 2016 एस.सी. 769) के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय में मत प्रतिपादित किया कि 2005 के संशोधन के लागू होने की तिथी 9 सितम्बर 2005 को 'जीवित पिता की जीवित पुत्री' का होना आवश्यक है। इसका तात्पर्य है कि कोई जीवित पुत्री पैतृक समपत्ति में पुत्री की भांति सहदायिक अंश तब ही प्राप्त करेगी, जब संशोधन लागू होने की तिथी को पिता जीवित हो, अन्यथा नहीं।

दनम्मा सुमन सुरपुर व अन्य बनाम अमर व अन्य(2018) 3 एस.सी.सी. 343 के वाद में कहा गया कि चाहे पिता की मृत्यु 2005 के संशोधन लागू होने से पूर्व ही क्यों न हो गई हो, फिर भी पैतृक सम्पत्ति में पुत्री का अधिकार पुत्र के समान बना

रहेगा। इस तरह पिता का 9 सितम्बर 2005 को जीवित होना आवश्यक नहीं है तथा यह पुत्री के पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकार में किसी तरह का विधिक व्यवधान नहीं है।

इन दोनों वाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न कर दी। अतः इस सम्बन्ध में व्याख्या कर समाधान अभिव्यक्त करना आवश्यक हो गया था। इन दोनों वादों में उत्पन्न विरोधी मत की स्थिति का स्पष्टीकरण **विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (11 अगस्त 2020)** के वाद में किया गया। इस वाद में न्यायाधीश अरूण मिश्रा की अध्यक्षता में अब्दुल नाजिर एवं अहवाज शाह के साथ तीन सदस्यीय बेंच का गठन किया गया। इस वाद में स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि–

(1) पैतृक सम्पत्ति के सम्बन्ध में पुत्रियों का अधिकार पुत्रों के समान है।

(2) पुत्रियां पुत्र की तरह जन्म से सहदायिक है।

(3) 9 सितम्बर 2005 को पिता के जीवित न होने पर भी पुत्रियां पुत्र के समान पैतृक सम्पत्ति में सहदायिक अंश प्राप्त करेगी।

(4) पिता के जीवित होने या न होने से पुत्रियों का अधिकार प्रभावित नहीं होता है।

(5) इस वाद में 'दनम्मा केस' के निर्णय की पुष्टि करते हुए निर्णय को उचित माना।

(6) इस वाद में संशय की स्थिति का समापन हो गया एवं अब एकमत से यह स्वीकार किया गया है कि पिता के जीवित या मृत होने से पुत्री के पैतृक सम्पत्ति में सहदायिक अधिकार प्रभावित नहीं होता है।

(7) ऐसी प्राप्त पैतृक सम्पत्ति पर महिला का पूरा मालिकाना हक है। वह इसे बेच सकती है या किसी के नाम कर सकती है या इस सम्पत्ति से संतान को बेदखल कर सकती है।

(8) विवाह के बाद यदि बेटी का वैवाहिक जीवन सही तरीके से न चले तो यह पैतृक सम्पत्ति उसके सम्मानजनक जीवन का आधार बन सकती है।

(9) एक पुत्री सदैव पुत्री रहती है। पुत्र विवाह के पश्चात् बदल जाता है।

निष्कर्ष

प्राचीन हिन्दू विधि के अन्तर्गत प्रचलित मिताक्षरा एवं दायभाग पद्धतियों के अधीन हिन्दू महिलाओं को सीमित अधिकार प्राप्त थे। इस अध्ययन से स्पष्ट है कि प्राचीन विधि में सम्पत्ति के सीमित अधिकार (जीवनयापन तक सीमित) प्राप्त थे। सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यवहार करने की स्वतंत्रता नहीं थी। स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास किये जाने लगे। हिन्दू कोड बिल पर विचार किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 में महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार प्रदान किये गये। सन् 2005 के संशोधन से पुत्र की भाँति सहदायिकी मान ली गई। अब हिन्दू स्त्रियां सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी है, पूर्व से 'सीमित सम्पदा' की अवधारणा के तहत् सीमित अधिकार प्राप्त थे। न्यायालय ने समय–समय पर किये गये निर्वचन से हिन्दू महिलाओं की विधिक स्थिति को स्पष्ट किया है तथा अधिकारों को व्यापकता प्रदान की है।

सन्दर्भ–सूची (Reference)

- मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948
- हिन्दू कोड बिल, 1954
- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1955
- मलिमथ समिति रिपोर्ट, 2003
- हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005
- यू.पी.डी.केसरी : हिन्दू विधि, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद संस्करण 2016
- आर.के.अग्रवाल : हिन्दू विधि, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद
- 174वीं विधि आयोग की रिपोर्ट 'महिलाओं के साम्पत्तिक अधिकार हिन्दू विधि में सुधार प्रस्ताव, 2000
- राव कमेटी रिपोर्ट